न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 124/2020
GCMS No. : 2020/00202

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. धनराज उर्फ धन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति-ब्राहम्ण निवासी-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.।		1. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र उदाराम 2. लक्ष्मण पुत्र किशनाराम 3. जगदीश पुत्र किशनाराम जातियान- ब्राहम्ण निवासी-पिपलियाखुर्द तहसील-जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 03/12/2012**

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सोमाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 02/02/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एचवं गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पिपलिया खूर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे निम्न खसरा नम्बर 206 रकबा 16-14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2013 रकबा 04-08 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 235 रकबा 03-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 236 रकबा 08-09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 247 रकबा 04-15 बीघा किस्म चाही दोयम की आई हुई है। उपरोक्त आराजी मे सायल का 1/4 हिस्सा व जगदीश का 1/4 हिस्सा व लक्षमणराम का 1/4 हिस्सा आता है उक्त अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसी प्रकार खसरा नम्बर-181 रकबा-62 बीधा 04 बिस्वा मे सायल का 1/8 हिस्सा व गैरसायलान संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/8 हिस्सा आता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज होकर मौके पर सायल व गैरसायलान काबिज होकर काश्त कर रहे है। नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस साथ पेश है। उपरोक्त खस[illegible]न की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा व काश्त की आयी हुई है तथा [illegible] किशनाराम सायल का पिता है तथा गैरसायलान संख्या [illegible] भाई है । सायल अपनी खातेदारी भूमि को काश्त करने व उपजाउ बनाने हे[illegible] कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करना चाहता है। जिस कारण कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से सायल को उक्त कृषि भूमि पर ऋण आदि स्वीकृत नही हो सकते है व सायल अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर सकता। इस कारण सायल गैरसायलान को उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करने का दिनांक–4/12/2012 को कहा गैरसायलान उक्त बंटवाडा करने से स्पष्ट मना कर सायल को उक्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दे दी। कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दे दी। सायल राजकीय सेवा में अध्यापक है व गैरसायलान सायल को जबरन झुठे मुकदमो मे फसाकर उसकी पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि से बेदखल करनें पर आमदा है। अगर सायल को जबरन बेदखल कर दिया गया तो उसको अपनी कृषि भूमि से वंचित हो जाना पडेगा तथा उसे असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही है। जिस कारण सायल अपने साम्पैतिक अधिकारो की रक्षा हेतु श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। समस्त तथ्यो परिस्थितियो व दस्तावेजात से सायल के पक्ष मे बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टियां मामला प्रमाणित है तथा मौके पर सायल का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष मे हैं। अगर गैरसायलान् द्धारा जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर सायल को अपने हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर दिया गया तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा सायल अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दु सायल के पक्ष मे होने से सायल के पक्ष मे व गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करे काश्त सम्बन्धी कार्य करे उसमे गैरसायलान किसी प्रकार की बाधा दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि से करावे। मुल वाद के निर्णय तक रोका जावे। इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। विकल्पेन दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से गैरसायलान सायल को जबरन बेदखल कर दे तो दे तो पुनः पूर्वस्थिति बहाल करवाई जावें। ऐसी आज्ञापक आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब प्रार्थना तलब किया गया। सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब गैरसायलान संख्या एक से तीन की और से निम्नलिखित रूप में पेश है किः– प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी सरहद मौजा पिपलिया में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है, लेकिन इस आराजी में सायल का किसी प्रकार से कोई कब्जा व हक व अधिकार होने के कथन अस्वीकार है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम की गलत प्रविष्टि है। जिसे [illegible] करवाने हेतु जवाब देहन्दा लक्ष्मणराम की और से अदालत हाजा [illegible] एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या–87/2012 बअनवान [illegible] किशनाराम व अन्य पेश किया हुआ है। जो वर्तमान में जैर विचारण के है। जि[illegible] नकल इस जवाब के साथ पेश है। सायल ने अपने इस प्रार्थना पत्र में अपना 1/4 वां व 1/8 वां हक हिस्सा होने के कथन असत्य लिखे है। जो गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या दो में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। राजस्व रेकर्ड में सायल के नाम की गलत प्रविष्टि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 293 पटवार हल्का पिपलियां खुर्द के द्वारा हो गई थी। जिसे निरस्त करवाने हेतु गैरसायलान लक्ष्मणराम का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही अदालत हाजा में पेश किया हुआ है। जब राजस्व रेकर्ड में सायल धन्नराज के नाम की गलत प्रविष्टि है तो सायल ऐसे गलत प्रविष्टि के आधार पर किसी प्रकार के बंटवाड़ा करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। न ही बिना हक व अधिकार के वह ऋण प्राप्त कर सकता है। बिना हक व अधिकार के सायल बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। गैरसायलान ने सायल के उपर किसी भी प्रकार से असत्य व झूठे मुकदमें नही किये है। बल्कि सायल धन्नराज स्वयं गैरसायलान से लड़ाई झगड़े व विवाद कर रहा है तथा धन्नराज स्वयं ने गैरसायलान लक्ष्मणराम के रहवासी घर में आग लगा दी थी। जिसकी पृथक से दाण्डिक कार्यवाही चल रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर भी सायल जबरदस्ती बिना किसी हक व अधिकार के ही कब्जा करने को आमादा है व इसी बदनियती से केवल राजस्व रेकर्ड में नाम होने को आधार बनाकर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार में वर्णित तमाम कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि गलत व कुटरचित नामान्तरण संख्या 293 पटवार हल्का पिपलियां खुर्द के आधार पर सायल के नाम दर्ज की गई है तथा उक्त नामान्तरण को खारिज करवाने हेतु पृथक से वादपत्र भी जैर विचारण के है। मौके पर भी सायल का कोई कब्जा व हक-अधिकार नहीं है। किशनाराम जी के जीवन काल में सायल को किसी प्रकार के हक व अधिकार भी नहीं मिलते है। प्रथम दृष्टिया सायल का मामला मजबूत होने के कथन झूठे है न ही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में हैं सायल गैरसायलान के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जबाब मय शपथ पत्र गैरसायलान की और से पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर [illegible] के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन [illegible] निम्नानुसार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी [illegible] की सयुंक्त शामलाती अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, प्रार्थी द्वारा इसके क[illegible]न बंटवाड़ा हेतू न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी को बेदखल करनें के लिये आमादा है। चुंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है तथा ऐसी भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अतः प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला केवल उसी के पक्ष में निहित है, विश्वास योग्य नही है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

(02) ***सुविधा का संतुलन*** :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) ***अपूर्णनीय क्षति*** :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested